

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 अगस्त, 2018

संख्या का०आ०५६/कै०अ०६/१९७४/धा०६४/२०१८.— जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ (१९७४ का केन्द्रीय अधिनियम ६) की धारा ६४ की उपधारा (२) के साथ पठित उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने के बाद, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा (जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियम, १९७८, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा (जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन नियम, २०१८, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा (जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियम, १९७८ में, नियम २२ में, उप नियम (१) में, (i) क V के बाद, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

“क VI. हरियाणा बायो –ऊर्जा नीति, २०१८ के अधीन आने वाली परियोजनाओं/ शून्य”।
इकाईयों की स्थापना के लिए सहमति फीस

(ii) मद ख VI के बाद, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:— शून्य”;
“ख VII हरियाणा बायो –उर्जा नीति, २०१८ के अधीन आने वाली परियोजनाओं/ अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
इकाईयों के सचालन के लिए प्रथम वर्ष तथा पश्चात्वर्ती
वर्ष के लिए प्रभारित की जाने वाली सहमति फीस

देवेन्द्र सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण विभाग।

358

**HARYANA GOVERNMENT
ENVIRONMENT DEPARTMENT**

Notification

The 27th August, 2018

No. S.O.56/C.A.6/1974/S.64/2018.—In exercise of the powers conferred by Sub- section (1) read with sub-section (2) of section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Control Act 6 of 1974), the Governor of Haryana after consulting the Haryana State Pollution Control Board hereby makes the following rules further to amend the Haryana (Prevention and Control of Water Pollution) Rules, 1978, namely:-

1. These rules may be called the Haryana (Prevention and Control of Water Pollution) Amendment Rules, 2018.
2. In the Haryana (Prevention and Control of Water Pollution) Rules, 1978, in rule 22, in sub-rule (1), (i) after item A-V, following item shall be added, namely:-
“A VI Consent fee to establish projects/units covered under Haryana Bio-Energy policy 2018”. Nil;
- (ii) After item B-VI, following item shall be added, namely:-
“B VII Consent fee to be charged for 1st and for subsequent year to operate projects/units covered under Haryana Bio-Energy policy 2018.” Nil .”;

DEVENDER SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Environment Department.

56496—L.R.—H.G.P., Chd.